रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12042025-262430
CG-DL-W-12042025-262430

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, अप्रैल 6—अप्रैल 12, 2025, शनिवार/चैत्र 16—चैत्र 22, 1947
No. 11] NEW DELHI, APRIL 6—APRIL 12, 2025, SATURDAY /CHAITRA 16—CHAITRA 22, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

सा.का.नि. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1973 को जहां तक उनका संबंध मेडिकल फोटोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मेडिकल फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-:-

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मेडिकल फोटोग्राफर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन भर्ती नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मेडिकल फोटोग्राफर	*04 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये/-)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा

					में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधीहोगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिद्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से फोटोग्राफी (कम से कम एक वर्ष की अवधि) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम । 3. किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सीय अधिमानतः फोटोग्राफी का 2 वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं,अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष। **टिप्पण:-** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या सशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर में या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500- 81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:** केवल केंद्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी को आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी -सदस्य; 3. उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं.ए-11018/18/2021-एम एच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th March, 2025

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, (Class III Posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the posts of Medical Photographer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Photographer in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement. -**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Medical Photographer, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -**The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non selection post**	**Age-limit for direct recruits**	**Educational and other qualification required for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Medical Photographer	04 *(2025) Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministeria.	Pay Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff SelectionCommission.	1. Class 12th Pass from a recognised Board. 2. Diploma course in Photography (minimum one year duration) from a government recognised Institute or University. 3. Two year’s experience in Photography preferably in Medical Photography in a Government or recognised Hospital. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in

						writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By Deputation (Including short term contract)/absorption, failing which by direct recruitment	Officers under the Central or State Government or Union territories or Universities or Recognized Research

	Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.		Institutions or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations: (a)(i)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-4 in the Pay Matrix (Rs.25500- 81100/-) or equivalent post in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under colm. no.(7). **Note 1:** Period of Deputation including the period of Deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by Deputation(Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 3:** Only Central or State Government official shall be considered for absorption.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Deputy Director in-charge of Medical Hospital of Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjang Hospital -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/18/2021-MH-2]

ABHISHEK PANDEY, Undre Secy.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिक चिकित्साविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, उप मुख्य भौतिक चिकित्साविद, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।